

WRITE RTI APPLICATION IN HINDI

RTI भारत की संसद का सूचना का अधिकार अधिनियम है जो निवासियों के सूचना के अधिकार से संबंधित दिशानिर्देश और कार्यप्रणाली को निर्धारित करता है। इसने पिछली स्वतंत्रता सूचना अधिनियम, 2002 को प्रतिस्थापित कर दिया।

प्रत्येक व्यक्ति को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। एक सामान्य नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए RTI दर्ज कर सकता है, सार्वजनिक अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। अगर आप भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संकोच न करें आप ऑनलाइन आरटीआई दर्ज कर सकते हैं।

आरटीआई कैसे दर्ज करें? HOW TO FILE AN RTI IN HINDI ?

चरण / Step 1: आप जिस विभाग से जानकारी चाहते हैं, उसे पहचानें। कुछ विषय राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगरपालिका प्रशासन / पंचायत के दायरे में आते हैं, जबकि अन्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

चरण / Step 2: श्वेत पत्र की एक शीट पर, हाथ से आवेदन लिखें, या इसे अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिखें। आप सार्वजनिक सूचना अधिकारी से इसे लिखित रूप में रखने के लिए भी कह सकते हैं।

चरण / Step 3: आवेदन को राज्य / केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करें। उस कार्यालय का नाम लिखें जिसमें से आप जानकारी चाहते हैं, और पूर्ण, सही पता। अपनी विषय पंक्ति में आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत स्पष्ट रूप से 'जानकारी मांगना।

चरण / Step 4: विशिष्ट, विस्तृत प्रश्नों के रूप में अपने अनुरोध को दर्ज करें, और आपके अनुरोध में आने वाली अवधि / वर्ष का उल्लेख करें। यदि आवश्यक हो, तो दस्तावेजों या दस्तावेजों के अर्क के लिए पूछें। दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए, आवेदक को भुगतान करना होगा। 2रु प्रति पेज।

चरण / Step 5: 10रु याचिका दायर करने के लिए। यह नकद, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट या कोर्ट फीस स्टैम्प के रूप में किया जा सकता है। आवेदन पर मोहर लगाई जानी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के आवेदकों को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवेदन के साथ बीपीएल प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करनी होगी।

चरण / Step 6: अपना पूरा नाम और पता, संपर्क विवरण, ईमेल पता और आवेदन स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर करें। तारीख और अपने शहर का नाम डालें।

चरण / Step 7: आवेदन की एक फोटोकॉपी लें और भविष्य में संदर्भ के लिए अपने पास रखें। अपना आवेदन डाक द्वारा भेजें या इसे संबंधित विभाग को व्यक्तिगत रूप से सौंप दें। पावती प्राप्त करना न भूलें।

चरण / Step 8: कानून यह कहता है कि जानकारी 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आप अपील दायर कर सकते हैं। पहली अपील को विभाग और पते के नाम के साथ 'अपीलीय प्राधिकरण' को संबोधित किया जाना चाहिए। अपील की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों में अपीलीय प्राधिकारी को वापस करने के लिए अनिवार्य है। यदि अपीलीय प्राधिकारी जवाब देने में विफल रहता है, तो आगे अपील सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य / केंद्रीय सूचना आयोग के पास होती है।

HOW TO WRITE AN RTI APPLICATION IN HINDI

RTI कैसे लिखे ? RTI लिखने का तरीका

आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगने के लिए एक सुझाया गया आवेदन पत्र सेवा में,

केंद्रीय / राज्य लोक सूचना अधिकारी

या सहायक लोक सूचना अधिकारी

(पते के साथ कार्यालय का नाम)

सर / मैडम,

विषय: आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगना

यह आरटीआई अधिनियम,

2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(1) आवश्यक जानकारी का विवरण

(a) विषय के विषय में आवश्यक जानकारी का विवरण और विवरण जो विशिष्ट होना चाहिए।

प्रश्न संख्या 1 -

प्रश्न संख्या 2 -

प्रश्न संख्या 3 -

(b) वह अवधि जिसके लिए सूचना मांगी गई है।

(2) यदि निरीक्षण किया जा रहा है, तो एक स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

(3) यदि जीवन और स्वतंत्रता का दावा किया जाता है, तो इसे निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(4) अनुसूची II संगठनों के मामले में, भ्रष्टाचार

/ मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक विशिष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

(5) कोई अन्य प्रासंगिक बिंदु

यदि सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकार से संबंधित या उसके पास है, तो आवेदन या उसके ऐसे हिस्से को उपयुक्त माना जा सकता है जो आरटीआई अधिनियम की धारा 6

(3) के अनुसार अधोहस्ताक्षरी को अंतरिम के तहत उस अन्य लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जा सकते हैं।

(यह पीआईओ के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है जिसे अधिनियम के तहत करना आवश्यक है)।

रुपये के आवेदन शुल्क के भुगतान के साक्ष्य। 10 / - और भुगतान का तरीका।

(i) रुपये का शुल्क। रसीद नं . _____ दिनांकित

_____ के लोक प्राधिकरण के लेखा कार्यालय में 10 / - नकद में जमा किया गया है; या

(ii) एक पोस्टल ऑर्डर / बैंक ड्राफ्ट नंबर _____ दिनांक _____ संलग्न है; या

(iii) फीस के भुगतान से छूट का दावा किया गया है और बीपीएल स्थिति

(उदाहरण- बीपीएल राशन कार्ड की फोटोकॉपी) के साक्ष्य संलग्न हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

आवेदक का पूरा नाम और डाक पता

संपर्क फोन नंबर और ई-मेल (यदि कोई हो)